6/8/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। मामले में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का परिशीलन किया तथा अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण किया।

अपीलान्टगण व उत्तरदातागण दोनों सेढ़ा पड़ोसी है, जो क्रमशः ग्राम भीलड़ा के खेत क्र० 524 रकबा 115.10 बीघा तथा ग्राम रासासर तल्ला के खेत क्र० 491 रकबा 53.08 बीघा के खातेदार हैं। दोनों खेत पृथक-2 राजस्व ग्रामों में होकर उनकी सीमा पर है।

अपीलांट पक्ष द्वारा करवाई गई पैमाइश की कार्यवाही में उनकी खेतदारी भूमि पर उत्तरदातागण का अवैध कब्जा पाया गया, तब उत्तरदातागण ने अपीलांटगण की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने के बजाय अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 Rт Act का वाद पेश कर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली।

अपीलांटगण को वाद प्रस्तुत किये जाने के बाद सुना नहीं गया और केम्प कोर्ट में इसे बिना वाद की प्रक्रिया पूर्ण किये डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इस प्रकार है- "जरिये स्थाई निषेधाज्ञा दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि की पैमाइश नहीं होने तक वादीगण ग्राम भीलड़ा की क्र० 524 रकबा 115.10 बीघा की तथा प्रतिवादीगण (1 से 4) ग्राम रासासर तल्ला की क्र० 491 रकबा 53.08 बीघा भूमि में वर्तमान में परस्पर कब्जा कायम में हस्तक्षेप नहीं करे।"

उत्तरदातागण पक्ष अपने खेत की पैमाइश/सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं। न्यायालय हाजा में इस बाबत आश्वासन के बावजूद भी अवगत किये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। एक वर्ष से भी अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उत्तरदाता-गण द्वारा सीमाज्ञान/पैमाइश संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अपीलांट पक्ष ने सीमाज्ञान करवा लिया है इसलिए उनके खातेदारी खेत में उत्तरदातागण के पाये गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही इस अपीलाधीन आदेश के यथावत रहते संभव नहीं हो पा रहा है। यह न्यायालय के आदेश/निर्णय

P.T.O

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का स्पष्टतः दुरुपयोग है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन आदेश ठोस सबूतों के आधार पर किसी एक के पक्ष में साबित होने पर किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं पाया गया है। अपीलाधीन आदेश / निर्णय गुणावगुण के आधार पर अंतिमतः निपटारे की स्थिति में नहीं होकर उभयपक्ष को पाबंद करना कतई न्यायसंगत नहीं है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश / निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील अपीलांट अंडर मियाद गुजर करने के पर्याप्त आधार हैं क्योंकि अपीलाधीन निर्णय मनमाना एवं विधि संगत नहीं है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय / डिक्री दिनांक 30.6.2018, जो कि सहायक कलक्टर, शिव (SDO) शिव ने राजस्व वाद सं. 105/2018 में पारित किया है, को अपास्त किया जाता है। मामला प्रतिप्रेषित कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह वाद में संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

6/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner